

कार्यालय कलेक्टर (पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग) जिला ग्वालियर  
(शारदा विहार कॉलोनी आदिम जाति कल्याण विभाग के पास सिटीसेन्टर ग्वालियर फोन, 2458680 ई-मेल [adbmwgwa@mp.gov.in](mailto:adbmwgwa@mp.gov.in))  
क्रमांक/पि.व.अ./2022-23/ 9570 ग्वालियर दिनांक 9/11/2023

प्रति,

- 1- प्राचार्य  
शासकीय आई.टी.आई.महाविद्यालय  
जिला- ग्वालियर
- 2- प्राचार्य  
शासकीय बालक/महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालय  
जिला- ग्वालियर

विषय:- पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक- युवतियों को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने बावत्।  
संदर्भ:- आयुक्त महोदय का पत्र क्रमांक/रोज.प्रशि./2022-23/29 भोपाल दिनांक 03.01.2023,

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से कार्यालय आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण म.प्र. भोपाल के द्वारा अवगत कराया गया है, कि पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवक- युवतियों को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की योजना 2022 में प्रारंभ की गई है। जिसकी जानकारी समस्त अशासकीय आई.टी.आई. महाविद्यालय/पोलीटेक्निक महाविद्यालय को अवगत कराने हेतु बैठक दिनांक 10.01.2023 को समय 2:30 बजे दोपहर स्थान शासकीय आई.टी.आई. महाविद्यालय जिला ग्वालियर में आयोजित की गई है।

अतः समस्त नोडल अधिकारी संबंधित अशासकीय संस्थाओं को भी अवगत कराएँ कि बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य है, साथ ही सदभित पत्र में दिये गये नियम/निर्देशों को गंभीरता से लेकर पालन करें।

संलग्न:- संदर्भित पत्र की छायाप्रति,

पुं.क्रमांक/पि.व.अ./2022-23/  
प्रतिलिपि:-

16/11/23  
सहायक संचालक  
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण  
जिला-ग्वालियर  
ग्वालियर दिनांक

- 1- समस्त अशासकीय आई.टी.आई./पोलीटेक्निक महाविद्यालयों को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

16/11/23  
सहायक संचालक  
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण  
जिला-ग्वालियर

कार्यालय संचालक, राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र,  
(पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण)  
भदभदा रोड, भोपाल.

क्रमांक / रोज.प्रशि. / 2022-23 / 29  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03.01.2023


✓ सहायक संचालक,  
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण,  
जिला .....

विषय :- "पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की योजना-2022" अंतर्गत प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के युवाओं के चयन हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित संशोधित विज्ञापन, एवं संशोधित आवेदन पत्र का प्रारूप भेजने बाबत।

संदर्भ :- कार्यालयीन पत्र क्रमांक / रोज.प्रशि. / 2022-23 / 7 भोपाल, दिनांक 2.01.2023

-----000-----


उपरोक्त विषय एवं संदर्भ अंतर्गत लेख है कि कार्यालय द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से "पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की योजना-2022" अंतर्गत प्रदेश के युवाओं से आवेदन प्राप्त करने हेतु जारी विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप आपको प्रेषित किया गया था। उक्त विज्ञापन एवं आवेदन पत्र को संशोधित कर युवक के स्थान पर युवक-युवतियों के लिए प्रकाशित कराया गया है। योजना अंतर्गत युवकों के साथ-साथ युवतियों भी आवेदन कर सकती हैं। संशोधित विज्ञापन एवं आवेदन पत्र प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न कर लेख है कि कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।  
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

  
संचालक,  
राज्य स्तरीय रोज.एवं प्रशि.केंद्र,  
(पिछड़ा वर्ग एवं अ.सं.क.), भोपाल

पृ० क्रमांक / रोज.प्रशि. / 2022-23 / 30  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 03.01.2023

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, म.प्र., सतपुड़ा भवन, भोपाल।

  
संचालक,  
राज्य स्तरीय रोज.एवं प्रशि.केंद्र,  
(पिछड़ा वर्ग एवं अ.सं.क.), भोपाल



कार्यालय संचालक, राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केंद्र,  
(पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण),  
भदभदा रोड़, भोपाल

क/रो.प्रशि./2022-23/24

भोपाल, दिनांक 03.01.2023

//विज्ञापन//

“पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को जापान में रोजगार उपलब्ध कराने की योजना-2022 अंतर्गत मध्यप्रदेश के पिछड़ा वर्ग के इच्छुक युवाओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। योजना अंतर्गत चयनित युवाओं को सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत जापान में नियोक्ता की मांग अनुसार विभिन्न ट्रेड्स में 03 से 05 वर्ष के लिए आकर्षक रोजगार हेतु जापान भेजा जाना है।

1/ जापान में रोजगार हेतु निर्धारित ट्रेड्स, स्वीकृत छात्र संख्या एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का विवरण निम्नानुसार है :-

क.	स्वीकृत ट्रेड्स	आवेदक की शैक्षणिक योग्यता	आवेदक की आयु (वर्षों में)	स्वीकृत छात्र संख्या
01	Manufacturing	न्यूनतम SSC उत्तीर्ण एवं संबंधित विषय में आई.टी.आई./डिप्लोमा अथवा न्यूनतम SSC उत्तीर्ण एवं संबंधित विषय में NSQF लेवल-4 उत्तीर्ण	18 से 30	40*
02	Construction	--DO--	18 से 30	40*
03	Hospitality (Care Worker)	--DO--	18 से 30	80*
04	Agriculture	--DO--	18 से 30	40*

\*आवेदक युवाओं की रुचि एवं जापान में रोजगार की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या कम अथवा अधिक हो सकती है।

2/ प्रशिक्षण शुल्क प्रति प्रशिक्षणार्थी अनुमानित रूपसे 02 लाख है। जिसमें से लगभग 50 प्रतिशत राशि आवेदक को वहन करनी होगी। प्रशिक्षण शुल्क में शामिल कौशल प्रशिक्षण तथा जापानी भाषा प्रशिक्षण का शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। डेपुटेशन फीस राज्य सरकार तथा आवेदक द्वारा बराबर-बराबर वहन करना पड़ेगा, जबकि जापान यात्रा पर होने वाला व्यय आवेदक द्वारा शत-प्रतिशत वहन करना पड़ेगा। आवेदक के चाहने पर जापान यात्रा पर होने वाले व्यय को मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम से ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जा सकेगा।

3/ चयन प्रक्रिया :- प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के इच्छुक युवाओं से प्राप्त आवेदन पत्रों की सर्वप्रथम छटनी (स्कूटनी) की जाकर पात्र आवेदकों को सूचीबद्ध किया जाएगा एवं शैक्षणिक योग्यता एवं प्राप्तांकों के आधार पर एक वरियता सूची तैयार कर सूची को रोजगार हेतु जापान भेजे जाने के लिए चयनित की गई संस्था को सौंपा जाएगा। तत्पश्चात उक्त संस्था द्वारा आवेदकों का साक्षात्कार लेकर युवाओं का प्रशिक्षण एवं रोजगार हेतु चयन किया जाएगा। योजना अंतर्गत चयनित युवाओं को चयन की सूचना पृथक से दी जाएगी। चयनित युवाओं के चयन के 15 दिवस के अंदर रुपये 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार) जमा करने होंगे, जो कि वापसी योग्य नहीं (नॉन रिफंडेबल) होंगे तथा जिसे प्रशिक्षण शुल्क के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

4/ उपरोक्त तालिका में दर्शित ट्रेड्स एवं निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के ऐसे युवक-युवतियों जो उक्त योजना अंतर्गत जापान जाने के इच्छुक हैं, वे अपना आवेदन संलग्न आवेदन पत्र अनुसार डाक द्वारा अथवा ई-मेल द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में अथवा संबंधित जिले के सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण के कार्यालय में डाक अथवा ई-मेल द्वारा जमा कर सकते हैं। इस कार्यालय की ई-मेल आई.डी. एवं विभागीय जिला अधिकारियों की ई-मेल आई.डी. विभाग के पोर्टल [www.bewelfare.mp.nic.in](http://www.bewelfare.mp.nic.in) पर उपलब्ध है। योजना अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक 31.01.2023 सांय 05:00 बजे तक है। उक्त अवधि के पूर्व अपना आवेदन उपरोक्त कार्यालयों में पहुँचाना सुनिश्चित करें।



संचालक,  
राज्य स्तरीय रोज. एवं प्रशि. केंद्र,  
(पिछड़ा वर्ग एवं अ.सं.क.), भोपाल

पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को जापान में रोजगार उपलब्ध कराने की योजना-2022 अंतर्गत मध्यप्रदेश के पिछड़ा वर्ग के इच्छुक युवाओं से आवेदन प्राप्त करने हेतु

### आवेदन-पत्र प्रारूप

- (1) आवेदक का नाम :- ..... पिता का नाम :- .....
- (2) पता :- .....
- (3) आवेदक का संपर्क दूरभाष क्रमांक एवं ई-मेल आई.डी. :- .....  
(न्यूनतम दो दूरभाष क्रमांक आवश्यक) .....
- (4) आवेदक का मध्यप्रदेश का मूलनिवासी होना अनिवार्य है, तदनुसार मूलनिवास का पता :-  
.....  
(म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी डिजिटल मूलनिवासी प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)
- (5) आवेदक की पिछड़ा वर्ग की जाति :- .....  
(यदि हों तो म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)
- (6) आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय :- रुपये .....  
(म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नवीनतम आय प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)
- (7) आवेदक की शैक्षणिक योग्यता :-

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	श्रेणी / ग्रेड	प्राप्तांक / पूर्णांक
01	हाई स्कूल			
02	हायर सेकेंड्री			
03	आई.टी.आई. / डिप्लोमा / NSQF Level-4			
04	स्नातक (यदि हो तो जानकारी दे)			
05	अन्य			





(8) 01 फरवरी, 2023 को आवेदक की आयु :-.....वर्ष .....माह .....दिवस.....  
(आयु सीमा 18 से 30 वर्ष)

(9) आवेदक का आधार क्रमांक :- .....

(10) जापान में रोजगार हेतु आवेदक के रुचि अनुसार आवेदित ट्रेड के नाम :-

प्रथम प्राथमिकता .....द्वितीय प्राथमिकता .....तृतीय प्राथमिकता.....

(11) आवेदक का कोई अपराधिक रिकार्ड है अथवा नहीं :- .....  
(यदि नहीं तो तत्संबंध में 10 रुपये के स्टाम्प पर आवेदक का घोषणा पत्र संलग्न करें।)

(12) योजना अंतर्गत जापान में रोजगार हेतु अनुमानित: रुपये 2,01,800/- का व्यय अनुमानित है, जिसमें से आवेदक द्वारा स्वयं एवं चाहे जाने पर ऋण के रूप में कुल राशि रुपये 1,00,000/- (एक लाख) व्यय की जाना है क्या आवेदक उक्त राशि व्यय करने हेतु तत्पर है :- .....(यदि हाँ तो तत्संबंध में 10 रुपये के नोटरी कर स्टाम्प पर बना हुआ स्वयं का हस्ताक्षरित घोषणा पत्र संलग्न करें।)

(बिन्दु क्रमांक 01 से 09 के संबंध में स्वयं प्रमाणित अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य है।)

मैं ..... पिता ..... एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्णता सत्य है एवं मैंने उक्त योजना के समस्त पहलुओं को भलिभाँति समझ लिया है। मैं जापान में रोजगार हेतु अपनी ओर से व्यय की जाने वाली राशि रुपये 1,00,000/- (स्वयं द्वारा रुपये 25,000/- + स्वयं अथवा ऋण के रूप में उपलब्ध करायी गई राशि रुपये 75,000/-) निर्धारित समय पर विभाग द्वारा मांगे जाने पर देने हेतु पूर्णता सहमत हूँ।

(आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर)

आवेदक/आवेदिका का नाम .....

आवेदक/आवेदिका का पता .....

